

**Extension of Service of officials in Doordarshan**

6046. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2150 on the 29th June, 1977 regarding retirement of programme officers in AIR and Doordarshan and state:

(a) the name and designation of the official who is being considered for extension of service;

(b) the justification for considering this particular officer for consideration; and

(c) the policy of Government with regard to the consideration of cases of such extension?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Shri G.K. Mathur, Deputy Director General, Doordarshan.

(b) and (c). According to the orders on the subject, the criteria for the grant of extension of service are that it must be in public interest and in addition one of the following two conditions should be followed:—

(i) Other persons are not ripe enough to take over the job.

OR

(ii) The retiring officer is of outstanding merit.

The case of Shri G. K. Mathur is being considered on the basis of these criteria.

**आगरा तथा मेरठ डिवीजनों में सीमेंट एजेंसियां**

6047. श्री रामप्रसाद देशमुख: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और आगरा डिवीजनों में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान दी गई सीमेंट एजेंसियां ऐसे स्थानों पर हैं जो कि निगम के निदेशकों अथवा उनके निकट सम्बन्धियों के मूल स्थान हैं;

(ख) क्या एक बुलन्दशहर नगर में ही दो-दो एजेंसियों आवंटित की गई हैं जब कि बहुत से नगरों में तो एक भी एजेंसी नहीं है;

(ग) ग्राम जनता को सीमेंट एजेंसी आवंटित करने संबंधी नियम क्या हैं और उसके लिए आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) आगरा तथा मेरठ डिवीजन में वे स्थान कौन से हैं जहां निकट भविष्य में सीमेंट एजेंसियां आवंटित करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र में सीमेंट की कमी को दूर किया जा सके ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) :**

(क) से (घ): अक्टूबर, 1975 से फरवरी, 1977 की अवधि में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्तमान स्टाकिस्ट अपना सामान्य कोटा तक नहीं उठा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन के कारखानों के कार्यकारी क्रयादेशों की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। कारखानों का उत्पादन अधिकतम रखने की दृष्टि से कारपोरेशन ने नये स्टाकिस्ट नियुक्त करने का निश्चय किया और जिन आवेदकों ने रुचि दिखाई तथा निर्धारित आवश्यकतायें पूरी कीं और सीमेंट की सप्लाई के लिए जमानतें की तथा अग्रिम राशि जमा की, उन पर विचार किया गया। स्टाकिस्ट बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए। स्टाकिस्टों का चयन करने में कोई आवेदक किसी निदेशक के मूल स्थान का निवासी है अथवा उसका सम्बन्धी है यह कोई अर्हता अथवा अनर्हता नहीं थी, फिर भी इस दृष्टिकोण से की गई एक जांच से पता चलता है कि आगरा तथा मेरठ विभाग का एक स्टाकिस्ट अर्थात् मेसर्स अशोक ट्रेडर्स, काजिमाबाद जिला (अलीगढ़) कारपोरेशन के एक निदेशक के मूल निवास का रहने वाला था।